

## v/; k; & III% | kekJ; fu; =ak

### LuS 'kkW

सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण आईटी नियंत्रण ढाँचे की नीति हैं। ये सामान्य वातावरण से संबंधित हैं जिसमें आईटी सिस्टम के संचालन, प्रबंधित और अनुरक्षित हैं। सामान्य आईटी नियंत्रण आईटी गतिविधियों के लिए समग्र नियंत्रण का ढाँचा तैयार करते हैं और समग्र नियंत्रण उद्देश्य संतुष्ट हैं का आश्वासन देते हैं। नीति, मार्गदर्शन और प्रक्रिया बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके सामान्य नियंत्रण कार्यान्वित किए जाते हैं।

विभाग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा नीति/दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। विभाग प्रणाली तक पहुंचने के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रहा था एवं वाहन उपयोगकर्ता को 12 घंटे तक का ओटीपी भेजा जाता रहा। वाहन और सारथी के लीगेसी डाटा का डिजिटलीकरण पूर्ण नहीं हुआ था। बैकलॉग मॉड्यूल भी अपर्याप्त था, जहां इनपुट प्रतिबंध या सत्यापन नियंत्रण नहीं थे। इस प्रकार आईटी प्रणाली की सुरक्षा अपर्याप्त थी और वाहन तथा सारथी का डिजिटलीकरण डाटा अपूर्ण था।

### 3.1 yEki jhEkk i fj .kke

#### 3.1.1 detkj rkFdd vfHkxeu fu; a.k

सूचना प्रणाली सुरक्षा में अनाधिकृत संशोधन से कम्प्यूटरीकृत डाटा का संरक्षण शामिल है। तार्किक अभिगमन नियंत्रण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हैं। ये कम्प्यूटर जानकारी प्रणालियों में जवाबदेही एवं पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं एवं प्रणाली, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं एवं सूचना के लिए अभिगमन नियंत्रण उपायों को लागू करने हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस सुरक्षा पैकेजों या डेटाबेस का एड-आन के भीतर तार्किक अभिगमन नियंत्रण को अंतर्निहित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने सूचना सुरक्षा के संबंध में विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की समीक्षा की और निम्नानुसार पाया:

- (i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी सुरक्षा नीति/दिशानिर्देश (मार्च, 2013) में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:—
  - विशेष वर्णों के साथ जटिल अल्फा-संख्या-पासवर्ड का उपयोग, पासवर्ड को आवधिक रूप से बदलना और वाहन और सारथी एप्लीकेशन के माध्यम से पुराने पासवर्ड का पुनः उपयोग नहीं किये जाने के लिए लागू किया जायें।
  - सं.प.आ./स.सं.प.आ. को कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर/सं.प.आ. सिस्टम सुपरवाइजर के रूप में लिखित आदेश के माध्यम से नियुक्त करना चाहिए।

लेखा परीक्षा में विशेष रूप से सं.प.आ.म. के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के बारे में पूछा गया।

विभाग ने अपने उत्तर में (जुलाई, 2022) बताया कि परिवहन विभाग में वाहन 4.0, सारथी 4.0, ई-चालान और ऑन-लाइन पीयूसीसी से संबंधित एप्लीकेशन प्रणाली एनआईसी दिल्ली/हैदराबाद/कोलकाता द्वारा पूरे देश में विकसित की गई है। स.प.रा. म. के आईटी दिशा-निर्देशों का एनआईसी द्वारा पालन किया जा रहा है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि स.प.रा.म. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा कोई लिखित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली/एप्लीकेशन तक अनाधिकृत पहुँच को रोकने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली/एप्लीकेशन तक पहुँच के लिए कोई भी चयनित इकाइयाँ बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर रही थीं। विभाग ने बायोमेट्रिक उपकरणों के उपयोग पर लेखा परीक्षा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

विभाग ने लेखा परीक्षा टिप्पणी (जुलाई 2022) को स्वीकार किया एवं बताया कि एनआईसी के समन्वय से बायोमेट्रिक डिवाइस सिस्टम जल्द ही लागू किया जाएगा।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली/एप्लीकेशन्स तक पहुँच के प्रश्न पर, विभाग ने बताया कि उपयोगकर्ताओं के लिए ओटीपी सत्यापन की एक प्रणाली है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि ओटीपी प्रत्येक बार उस समय सारथी उपयोगकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, जब वे प्रणाली में लॉग इन करते हैं। हालांकि, वाहन 4.0 उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी 12 घंटे तक मान्य रहता है। इस प्रकार, ओटीपी टाइम-आउट के 12 घंटे की वैधता को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि ओटीपी टाइम-आउट के मूल उद्देश्य को ही विफल कर रहा है।

विभाग ने लेखा परीक्षा टिप्पणी (जुलाई 2022) को स्वीकार किया और बताया कि ओटीपी प्रणाली में 12 घंटे की समयावधि को कम करने के लिए एनआईसी के समन्वय से कार्यवाही की जाएगी।

(iv) लेखा परीक्षा ने 12 सं.प.अ./स.सं.प.अ. कार्यालयों में सुरक्षा नीति से संबंधित वाहन 4.0 के डंप डाटा का विश्लेषण किया और देखा कि वाहन 4.0 और सारथी 4.0 वेब समर्थित एप्लीकेशन्स हैं, सं.प.अ./स.सं.प.अ कार्यालय के उपयोगकर्ता किसी भी इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर से एप्लीकेशन को एक्सेस करने में सक्षम थे, चाहे स्थान और समय कुछ भी हो, यथा कार्यालय के परिसर से बाहर या कार्यालय अवधि से बाहर। इस प्रकार, सं.प.अ./स.सं.प.अ के कार्यालय के उपयोगकर्ता/कैशियर कहीं से भी एवं किसी भी समय मोटर वाहन कर और शुल्क एकत्र करने एवं वाहन मालिकों को प्राप्तियाँ जारी करने में सक्षम थे।

अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए परिवहन वाहनों के संबंध में उत्तर प्रदेश के वाहन 4.0 डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि पूरे ₹ 3,547.69 करोड़ की नगद धनराशि प्राप्त हुई थी एवं इसमें से ₹ 38.31 करोड़ की धनराशि कार्यालय अवधि के बाद (7.00 पी.एम. से 23:56 पी.एम. और 02:43 ए.एम. से 9.59 ए.एम.) के मध्य प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, उत्तर अवधि के लिए 12 चयनित कार्यालयों के आंकड़ों की जाँच से पता चला है कि 11 कार्यालयों<sup>1</sup> में, कुल 13,64,419 नकद

---

<sup>1</sup> स.सं.प.का., कुशीनगर को छोड़कर।

पावतियों में से ₹ 11.04 करोड़ मूल्य की 12,508 नकदी पावतियों को कार्यालय अवधि **14 fjf'kV&3-1½** के बाद सृजित की गई थी। यह भी अग्रेतर देखा गया कि ₹ 11.04 करोड़ की प्राप्तियों में से सं.प.का.कानपुर नगर में ₹ 8.70 करोड़ (78.80 प्रतिशत) का नकदी संग्रह किया गया था। कार्यालय अवधि के बाद सं.प.का., कानपुर नगर द्वारा इतनी बड़ी धनराशि के नकद संग्रह किये जाने की जांच करने की आवश्यकता है।

विभाग ने लेखा परीक्षा टिप्पणी (जुलाई 2022) को स्वीकार किया और बताया कि एनआईसी को वाहन 4.0 पोर्टल पर कार्यालय अवधि प्रणाली के विकास के बारे में सूचना दी गई है जिसे शीघ्र ही पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा।

### **3.1.2 yhx d h Mvk vkg cdy,x e,Miy ds l cak eaeqs**

किसी भी आईटी परियोजना की सफलता के लिए डाटा की पूर्णता सर्वोपरि है। लीगेसी डाटा डिजिटलीकरण यथा—वाहन 4.0 और सारथी 4.0 के पुराने डाटा के लिए डाटा इन्ट्री की समयसीमा और व्यवस्था के संबंध में एक सुपरिभाषित रणनीति की आवश्यकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उद्देश्य के अनुसार, परिवहन विभाग के साथ—साथ नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं, सरकारी नीतियों का शीघ्र कार्यान्वयन, वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस की सूचना अन्य सरकारी विभागों तक तत्काल पहुँच के लिए, डाटा डिजिटलीकरण आवश्यक है।

डाटा सुरक्षा के हित में, लीगेसी डाटा इन्ट्री पूर्ण किया जाना चाहिए एवं उसका गहन पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। यद्यपि, यह देखा गया कि वाहन 4.0 और सारथी 4.0 के डाटा निम्नविवरणानुसार अपूर्ण थे:

#### **(i) okgu 4-0 vkg l kjFkh 4-0 ds vi wkZ vkdMs**

पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंसों के लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण के लिए फरवरी 2013 में उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम (उ.प्र.वि.प्र.नि.) से एक अनुबन्ध किया गया था। डिजिटलीकरण का उद्देश्य था कि (i) विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय में ही किसी वाहन के डाटा का सत्यापन करना (ii) लोगों के लिए ऑन—लाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना और (iii) अन्य सरकारी विभागों के लिए उपयोगितापूर्ण होना।

डिजीटलीकरण के कार्य में पंजीकरण के मैनुअल अभिलेखों को और वाहन एप्लीकेशन में यूनिक्स डाटा का क्रमशः ₹ 7.50 प्रति अभिलेख और ₹ 2.90 प्रति अभिलेख की दर से डिजिटलीकरण एवं विस्थापन शामिल था।

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि 96,30,732 अभिलेखों में से उ.प्र.वि.प्र.नि. ने केवल 70,87,949 पंजीकरण प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण किया। इसके अतिरिक्त, 1,40,00,000 अभिलेखों में से 82,94,594 ड्राइविंग लाइसेंस के अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया।

लेखा परीक्षा में यह भी देखा कि शेष 25,42,783 पंजीकरण अभिलेखों (अर्थात् कुल अभिलेखों का लगभग 26.40 प्रतिशत) और शेष 57,05,406 ड्राइविंग लाइसेंस अभिलेखों (कुल अभिलेखों का लगभग 40.75 प्रतिशत) न तो सक्रिय थे और न ही वाहन 4.0 एवं सारथी 4.0. में पोर्ट किये गये।

इस प्रकार, लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण का कार्य अपूर्ण था।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि विभाग द्वारा मामलों की जाँच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

## **(ii) okgu 4.0 vlg I kjFkh 4.0 dscfy,x e,Miy eadfe;k**

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वाहन 4.0 और सारथी 4.0 के लीगेसी डाटा का डिजिटलीकरण अपूर्ण था। शेष लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से वाहन 4.0 और सारथी 4.0 को अलग बैकलॉग डेटा प्रविष्टि मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सिस्टम डेटाबेस के लिए डाटा की प्रविष्टि का तरीका मिल जाता है। शेष वाहनों के संबंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा स्वामित्व के हस्तांतरण, पते के परिवर्तन, हाइपोथिकेशन, समापन आदि के समय वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के आधार पर बैकलॉग मॉड्यूल में डाटा दर्ज किए जा रहे थे।

वाहन पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैकलॉग मॉड्यूल के माध्यम से 30 सितंबर, 2021 तक 1,01,588 वाहनों का विवरण दर्ज किया गया है। हालांकि, बैकलॉग मॉड्यूल किए गए अभिलेखों के सृजन के लिए असुरक्षित हैं, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

### **okgu 4.0**

लेखा परीक्षा ने पाया कि वाहन 4.0 प्रणाली के बैकलॉग मॉड्यूल में पंजीकरण की तिथि, क्रय की तिथि, कर भुगतान की तिथि, रसीद संख्या आदि जैसे फील्डों में दर्ज डाटा के इनपुट प्रतिबंध या विधिमान्यकरण नहीं थे। इस प्रकार बैकलॉग मॉड्यूल, अमान्य और अप्रमाणित डाटा के इन्ट्री में गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। इसे अध्याय V के प्रस्तर 5.2.2 में शामिल किया गया है।

### **I kjFkh 4.0**

लेखापरीक्षा ने देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस की मूल संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि जैसे फील्डों में दर्ज डाटा के इनपुट प्रतिबंध या विधिमान्यकरण बैकलॉग मॉड्यूल में नहीं थे। इस प्रकार बैकलॉग मॉड्यूल, अमान्य और अप्रमाणित डाटा के इन्ट्री में गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2022) में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रतिबंध वाहन 4.0 के बैकलॉग मॉड्यूल में निहित हैं।

### **fu"d"kl**

विभाग आईटी प्रणाली की सुरक्षा के संबंध में सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन देने में विफल रहा। यह लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण को पूर्ण करने में भी विफल रहा है और इस प्रकार ऑन-लाइन डाटा/सेवाओं के लाभ से संबंधित हितधारकों को वंचित रहना पड़ा। वाहन 4.0 और सारथी 4.0 का बैकलॉग मॉड्यूल अमान्य और अप्रमाणित डेटा के इन्ट्री में गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है।